XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.393–दो/06 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–7–14	इस प्रकरण में दिनांक 19–6–14 के बाद से आवेदक की ओर से कोई अभि.उप. नहीं हो रहा । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
3-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

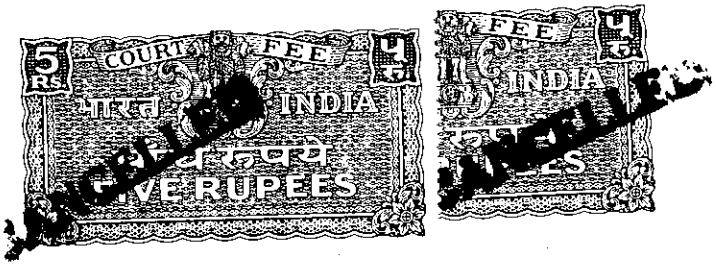

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर(म०प्र०) कैम्प,सागर

श्रीमति मन्जूलता पत्नि अनिल कुमार जैन
निवासी ग्राम सिंगपुर,तहसील खुरई जिला सागर
हाल निवासी ज्योति लाज के सामने, स्टेशन रोड
सागर तहसील व जिला सागर == == रिवीजन कर्ता। आवेदिका

बनाम

गनेश वल्द श्री हल्कू चढ़ार साकिन
ग्राम सिंगपुर, तहसील खुरई
जिला सागर(म०प्र०) == == अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५ म्याद अधिनियम-

आवेदिका। रिवीजन कर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है-

(१) यहकि, रिवीजन कर्ता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 60 -अ। १९(१) वर्ष ९९-२००० मे पारित आदेश दिनांक १४। ११। २००० के विरुद्ध सहवन भूलवश निगरानी न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी।

(२) यहकि, श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी श्रवण क्षेत्राधिकार न होने के कारण दिनांक ३।२।२००६ को संबंधित निगरानी सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु वापिस करने की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया गया।

(३) यहकि, निगरानी कर्ता के अधिवक्ता को संबंधित निगरानी के आदेश दिनांक ३।२।२००६ की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि दिनांक १०।२।२००६ एवं मूल निगरानी तथा अतिरिक्त कलेक्टर, सागर के